

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी०एम०पी० संख्या—263 / 2019

प्रभावती सिन्हा उर्फ प्रभावती

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और एक अन्य

..... विपक्षी (गण)

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्ता के लिए :

श्री दर्शन पोद्दार मिश्रा, अधिवक्ता

बी०सी०सी०एल० के लिए :-

श्री इंद्रजीत सिन्हा और अजय कुमार साह, अधिवक्तागण

03 / 12.06.2020 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने डब्ल्यू०पी० एस० सं०-1315 / 2017 को
पुनःस्थापित करने के लिए प्रार्थना करते हुए यह याचिका दायर की है, जिसे 17.01.2019 को डिफॉल्ट
रूप से खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने निवेदन किया कि त्रुटियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का
समय दिया गया था, लेकिन ऑर्डरशीट में, इसे भूलवश एक सप्ताह ही टाइप किया गया था और जब
वह एक सप्ताह के बाद त्रुटियों को दूर करने गया, तो कार्यालय ने उन्हें सूचित किया कि मामला
खारिज हो गया है। वह अंत में यह निवेदन करता है कि अब वह त्रुटियों को दूर करने के लिए तैयार
है जैसे ही यह मामला पुनःस्थापित हो जाए।

बी०सी०सी०एल० के वकील को रिट याचिका को पुनःस्थापित होने पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त सबमिशन के मद्देनजर, मैं इस याचिका को अनुमति देता हूँ। नतीजतन,
डब्ल्यू०पी० एस० सं०-1315 / 2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

जैसा कि प्रार्थना की गई है, आज से तीन सप्ताह का समय याचिकाकर्ता के वकील को डब्ल्यू०पी० एस० सं०-१३१५/२०१७ में कार्यालय द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर करने की अनुमति दी जाती है।

(आनंदा सेन, न्यायाल)